निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1936 (श0)

(सं0 पटना 237) पटना, वृहस्पतिवार, 5 फरवरी 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

20 जनवरी 2015

सं0 22/नि0सि0(रॉ0)–15–01/2008/185––श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, कोसी कमांड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा द्वारा दंडादेश संख्या 1385 दिनांक 19.09.14 के विरूद्ध समर्पित पुनरावलोकन अर्जी दिनांक 07.10.14 की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी।

पाया गया कि श्री सक्सेना द्वारा वर्ष 2002–03 में कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी के पद पर पदस्थापान अवधि में श्री लाल सहाय राम, कार्यदर्शक, कोटि–1, कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी की सेवा पुस्ति एवं भविष्य निधि में अंकित जन्म तिथि में छेड़छाड़ कर, दिनांक 24.01.1945 के स्थान पर दिनांक 24.01.1947 अंकित करने संबंधित अनियमितता बरती गयी, जिसके लिए जल संसाधन विभाग, झारखंड द्वारा डुमरी थाना कांड संख्या–53/07 दिनांक 22.02.07 दर्ज की गयी। श्री सक्सेना का कैडर बँटवारा के उपरान्त बिहार कैडर आवंटित होने के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग, झारखंड द्वारा सभी संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति जल संसाधन विभाग, बिहार को भेजते हुए उक्त अनियमितता के लिए श्री सक्सेना के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

जल संसाधन विभाग, झारखंड से प्राप्त अभिलेखों के समीक्षोपरान्त श्री सक्सेना के विरूद्ध निम्नांकित उक्त आरोप से संबंधित प्रपत्र–''क'' गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1852 दिनांक 09.12.10 द्वारा बिहार सरकार सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 दण्ड के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि श्री सक्सेना द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि उन्होंने श्री राम, कार्यदर्शक कोटि–1 की जन्म तिथि को संशोधित कर दिनांक 24.01.1945 की जगह 24.01.1947 किया गया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–549 दिनांक 23.05.12 द्वारा श्री सक्सेना से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री सक्सेना से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा में पाया गया कि श्री सक्सेना द्वारा स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा अवर प्रमंडलीय पदाधिकारी, डुमरी एवं अनुमंडलीय लिपिक के मंतव्य के आलोक में श्री लाल सहाय राम, कार्यदर्शक कोटि–1 के जन्म तिथि 24.01.1945 को संशोधित कर 24.01.1947 किया गया है। समीक्षा में पाया गया कि श्री सक्सेना द्वारा प्रमाण पत्रों को बिना जॉच कराये एवं बिना उच्चाधिकारियों के परामर्श प्राप्त किये ही उनके द्वारा जन्म तिथि में संशोधन किया गया एवं श्री राम, कार्यदर्शक कोटि–1 को अधिक सेवा का लाभ पहुँचायी गयी जिससे सरकार को वित्तीय क्षति हुई। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–1385 दिनांक 19.09.14 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गयाः–

1. तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

2. भविष्य में किसी भी प्रोन्नति के अयोग्य।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध समर्पित पुनरावलोकन अर्जी में श्री सक्सेना द्वारा मुख्य रूप से निम्न बातें कही गयी है:–

(1) श्री लाल सहाय राम, कार्यदर्शक कोटि–1 द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड मध्यमा परीक्षा का प्रमाण पत्र समर्पित करते हुए जन्म तिथि में संशोधन करने का अनुरोध किया गया। उक्त प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 24.01.1947 अंकित थी।

(2) प्रभारी लिपिक एवं प्रधान लिपिक द्वारा प्रमाण पत्रों की जॉच की गयी । उनके अनुशंसा एवं अवर प्रमंडल पदाधिकारी, कोनार नहर प्रमंडल संख्या–1, डुमरी के अनुशंसा के आलोक में श्री राम, कार्यदर्शक कोटि–1 का जन्म तिथि में संशोधित किया गया।

(3) श्री राम के प्रमाण पत्रों से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण प्रमाण पत्रों की जॉच बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना से नहीं करायी गयी।

श्री सक्सेना से प्राप्त पुनरावलोकन अर्जी की समीक्षा में पाया गया कि श्री सक्सेना द्वारा इस बात का संज्ञान नहीं लिया गया कि जब पूर्व में श्री राम, कार्यदर्शक कोटि–1 के सेवा पुस्ति में जन्म तिथि 24.01.1945 अंकित है वह भी किसी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित होगा। श्री राम, कार्यदर्शक कोटि–1 द्वारा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड माध्यमा परीक्षा का प्रमाण पत्र बिना जॉच कराये जन्म तिथि में संशोधन किया गया। उल्लेखनीय है बाद में उक्त प्रमाण पत्र की जॉच करायी गयी एवं जॉचोंपरान्त जन्म तिथि 24.01.45 ही पाया गया। समीक्षा में पाया गया कि श्री सक्सेना द्वारा कोई नया तथ्य दिया गया है। इनका कृत्य माफी के योग्य नहीं है। इनका सेवा असंतोषजनक रहा है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सरकार द्वारा श्री सक्सेना तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी सम्प्रति अधीक्षण अभियंता का पुनरावलोकन अर्जी दिनांक 07.10.2014 को अस्वीकृत करते हुए पूर्व के संसूचित दंड को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रमंडल, डिहरी सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, कोशी कमांड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा का पुनरावलोकन अर्जी दिनांक 07.10.2014 को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में संसूचित दंड को यथावत रखने का आदेश दिया जाता है एवं उक्त निर्णय/आदेश श्री सक्सेना को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 237-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in